प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(PMGSY)

1. प्रस्तावना

1.1 ग्रामीण सड़क संपर्क आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का संवर्धन करते हुए और फलस्वरूप भारत में कृषि आय और उत्पादक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन करते हुए ग्रामीण विकास का न केवल एक मुख्य घटक है वरन् स्थायी रूप से गरीबी निवारण कार्यक्रम का भी एक मुख्य भाग है। पिछले वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राज्य और केन्द्र स्तरों पर किए गए प्रयासों के बावजूद देष में अभी भी लगभग 40 प्रतिषत बसावटें बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ी हुई है। यह सर्वविदित है कि जहां पर सड़क संपर्क मुहैया भी कराया गया है वहां निर्मित सड़कों की हालत (खराब निर्माण अथवा रख–रखाव की वजह से) ऐसी नहीं है कि उन्हें बारहमासी सड़कों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सके।

1.2 इस स्थिति को सुधारने के मद्देनजर सरकार ने 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शत–प्रतिषत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के लिए हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर 50 प्रतिषत उपकर निर्धारित है।

2. कार्यक्रम का उद्देष्य

2.1 पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवष्यक पुलियों और क्रास–ड्रेनेजढत्रष्ष चत्रष्ष्झ

2.2 पीएमजीएसवाई में उन जिलों में मौजूदा सड़कों को सुधारने (निर्धारित मानदंडों के अनुसार) की अनुमति दी जाएगी जहां निर्दिष्ट जनसंख्या (उपर्युक्त पैरा 2.1 का संदर्भ लें) वाली सभी बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की गई है। तथापि, यह नोट किया जाए कि सुधार–कार्य कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु नहीं है और इस स्थिति में यह उन राज्यों के राज्य आबंटन के 20 प्रतिषत से अधिक नहीं हो सकता है जहां अभी भी सड़कों से न जुड़ी बसावटें मौजूद हैं। सुधार कार्य में कोर नेटवर्क में सामान्य और सभी सड़कों को बारहमासी सड़कों में बदलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. प्रस्ताव

6.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले सड़क कार्यों की सूची प्रत्येक वर्ष जिला पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा जिला को दी गयी निधियों के आबंटन के अनुरूप होगा (कृपया पैरा 5.1 देखें)। जिला पंचायत निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों (कृपया पैरा 6.5 देखें) को शामिल कर एक परामर्षी प्रक्रिया

के माध्यम से सूची को अंतिम रूप देगा। यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित सड़क कार्य कोर नेटवर्क का हिस्सा हो और नए सम्पर्क सड़क को प्राथमिकता दी गयी हो, जैसा कि उपरोक्त पैरा 3.1 में दिया गया है।

6.2 राज्य सरकार / जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि प्रस्तावित सड़क कार्य शुरू करने के लिए भूमि उपलब्ध है। प्रत्येक सड़क कार्य हेतु प्रस्ताव के साथ एक प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए कि भूमि उपलब्ध है। यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भूमि अधिग्रहण के लिए निधि प्रदान नहीं करती है। हालांकि, राज्य सरकारें नीतियाँ निर्धारित करेंगी जिससे कि सड़क कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सामान्य हित को पूरा करें तथा न्यायोचित और तर्कसंगत हो।

6.3 सड़क कार्यों की सूची तैयार करते समय, जिला पंचायत को यह सुनिष्चित करना होगा कि समस्त सम्पर्कविहीन बसावटों को नया सड़क सम्पर्क प्रदान करने को प्राथमिकता दी गयी हो। निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का सख्ती से पालन किया जाएगा :–

1.	1000+ (पहाड़ी राज्यों आदि के मामले में 500+) की आबादी वाले सम्पर्कविहीन बसावटों को नया सड़क सम्पर्क प्रदान करना।
2.	500–999 (पहाड़ी राज्यों आदि के मामले में 250–499) की आबादी वाले सम्पर्कविहीन बसावटों को नया सड़क सम्पर्क प्रदान करना।
3.	कोर नेटवर्क में थ्रू रूटों को सुधारना।
4.	लिंक रूटों को सुधारना।

6.4 प्राथमिकता के उपर्युक्त आदेष में केवल एक अपवाद उन मार्गों के संबंध में है जिसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय या विपणन केन्द्र या अन्य शैक्षणिक और अनिवार्य चिकित्सा सेवाओं या वे जिन्हें पर्यटन के हित में अधिसूचित किया गया है, शामिल हैं। वैसे मामलों में, जनसंख्या के आकार पर ध्यान दिए बगैर नए संपर्क का प्रावधान किया जा सकता है।

6.5 पी एम जी एस वाई के अंतर्गत, संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है। प्रत्येक जिले में सड़कों से न जूड़ी बसावटों की सूची (जनसंख्या के साथ) के साथ उन सड़कों की सूची, जिनकी पहचान कोर नेटवर्क के हिस्से के रूप में जोड़ने के लिए की गई है, संसद सदस्यों को भेजी जानी चाहिए, ताकि संसद सदस्यों को अपने सुझाव देने में आसानी हो सके। यह सुनिष्चित करना जिला पंचायत के लिए आवष्यक होगा कि, प्रस्ताव तैयार करते समय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर दिषा–निर्देषों के फ्रेमवर्क

के अंतर्गत पर्याप्त विचार किया जाता है। इस उद्देष्य हेतु, पी एम जी एस वाई वेबसाइट (ूण्चउहेलण्वतह) पर संसद सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

7. राज्य स्तरीय एजेंसियां

7.1 प्रत्येक राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन निष्पादन एजेंसियों के रूप में नामित की जाने वाली एक या दो उचित एजेंसियों (सभी जिलों में मौजूद रहने वाली और समय पर सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में सक्षम) की पहचान करेगा। ये लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा / संगठन / ग्रामीण कार्य विभाग / जिला परिषद् / पंचायती राज

अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि हो सकते हैं, जो कोई सालों से कार्यरत हैं और उनके पास अपेक्षित अनुभव, सुविज्ञता और कर्मचारी हैं। राज्यों द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई एजेंसी / परामर्षदात्री नहीं बनाया जाएगा। वैसे राज्यों में, जहाँ राज्य सरकार द्वारा एक से अधिक निष्पादन एजेंसी निर्धारित की हैं, जिले के साथ कार्य का वितरण एक इकाई के रूप में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक जिले का कार्य केवल एक ही निष्पादन एजेंसी को सौंपा जाएगा। निष्पादन एजेंसी की जिले में एक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पी आई यू) होगी, जिसमें उसके प्रमुख के रूप में निष्पादन अभियंता के स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए।

7.2 प्रत्येक राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन नोडल विभाग के रूप में एक विभाग को नामित करेगा, जिसके पास राज्य में पी एम जी एस वाई के कार्यान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदार होगी। उस निष्पादन एजेंसी जिसे सड़क कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है के लिए यह एक प्रषासनिक विभाग होगा। दो निष्पादन एजेंसियों के मामले में, दोनों एजेंसियों में से प्रमुख एजेंसी के लिए जिम्मेवार विभाग नोडल विभाग होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सभी संपर्क नोडल विभाग / राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।

7.3 नोडल विभाग नीचे पैरा 18 में दर्षाए अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधियां प्राप्त करने के लिए, अपने नियंत्रणाधीन एक विषिष्ट वैध स्थिति वाली राज्य स्तरीय स्वायत्त एजेंसी (सोसाइटी इत्यादि) की पहचान करेगा। यदि ऐसी कोई राज्य स्तरीय एजेंसी नहीं है तो, नोडल विभाग रजिस्ट्रेषन ऑफ सोसाईटीज एक्ट के तहत एक एजेंसी को पंजीकृत करेगा, (एक से अधिक एजेंसी नहीं होनी चाहिए) ताकि निधियां प्राप्त की जा सकें। मंत्री या मुख्य सचिव एजेंसी की अध्यक्षता करेंगे और नोडल विभाग का प्रभारी सचिव या वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होंगे। सभी प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंजूरी हेतु एन आर आर डी ए को भेजने से पहले एजेंसी द्वारा इसकी पुनरीक्षा की जाएगी।

7.4 प्रत्येक राज्य सरकार कोर नेटवर्क और परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक राज्य स्तरीय स्थायी (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) का गठन करेगी ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि उन्हे

दिषा–निर्देषों के अनुरूप तैयार किया गया हो राज्य स्तरीय स्थायी समिति कार्यक्रम की गहन एवं प्रभावी निगरानी के लिए तथा सड़क कार्यों के समयोचित निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेवार होंगी।

8. परियोजना प्रस्तावों की तैयारी और उनकी स्वीकृति

8.1 जिला पंचायतों के अनुमोदन के बाद (उपर्युक्त पैरा 6.1 का संदर्भ लें), प्रस्तावों को जिला पी आई यू के जरिए राज्य स्तरीय एजेंसी को भेजा जाएगा (उपर्युक्त पैरा 7.3 का संदर्भ लें)। पी आई यू इसके प्रोफोर्मा–एमपी – । और एमपी – ।। पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे तैयार करेगी और इसे प्रस्तावों के साथ भेजेगी।

8.2 राज्य स्तरीय एजेंसी यह सुनिष्चित करने के लिए प्रस्तावों की जांच करेगी कि वे दिषा–निर्देषों के अनुरूप हों और फिर उन्हें राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य परियोजना प्रस्तावों का साईज और समय जब इन्हें एन आर आर डी ए को प्रस्तुत किया जाएगा, इसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष मंत्रालय / एन आर आर डी ए द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

8.3 यह देखने कि लिए कि प्रस्ताव दिषा–निर्देषों के अनुरूप है और संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरा विचार किया गया है, राज्य स्तरीय स्थायी समिति प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा संवीक्षा के बाद, पी आई यू प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डी पी आर) तैयार करेगी। डी पी आर तैयार करने के लिए पेवमेंट की डिजाईन और क्रॉस–ड्रेनेज कार्यों के लिए अपेक्षित आंकड़े, अर्थात् एनवेंट्री और इंजीनियरिंग सर्वे, मृदा जांच, हाइड्रौलिक आंकड़े आदि एकत्र करने और जांच करने की जरूरत होती है। डी पी आर तैयार करने की लागत, जो प्रति कि.मी. 10,000 रू. की दर

से अधिक नहीं होनी चाहिए, को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार, एक निर्धारित राशि, जो प्रति कि. मी. 10,000 रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए (वास्तविक आधार पर) को आई आर सी के विनिर्देष के अनुसार साईन बोर्डों को लगाने, रोड स्ओन और अन्य सड़क संबंधी सामग्रियों को लगाने की लागत के रूप में परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है। षिलान्यास / उद्घाटन समारोहों के लिए प्रति समारोह 5,000 रू. भी शामिल किये जा सकते हैं। डी पी आर के साथ अलग से बेंचमार्क सूचकांक रिर्पोट लगाई जाएगी जिसमें सड़कों से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक बसावटों के षिक्षा, स्वास्थ्य, आय आदि जैसे मुख्य सूचकांकों की स्थिति दी जाएगी (जिला ग्रामीण सड़क योजना / जनगणना के लिए बनाए गए फार्मेट – ५ में मौजूद बसावट आंकड़ों से लिए गए आंकड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं)।

8.4 पी आई यू विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने में निम्नलिखित दिषा निर्देषों का पालन करेगी :–

i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतगर्त निर्मित ग्रामीण सड़कों में आई आर सी की ग्रमीण सड़क नियमावली (प्रकाषन आई आर सीः एसपी 20:2002) में दी गई तकनीकी विषिष्टताओं और ज्यामितिक डिजाईन मानकों को अवष्य पूरा किया जाएगा। अधिकांष नई सम्पर्क सड़कों पर कम यातायात की संभावना है। यह नोट किया जाए कि जहाँ यातायात संख्या प्रतिदिन 100 मोटर वाहनों से कम है और जहाँ अंतिम छोर, कम बसावट और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से यातायात में वृद्धि की संभावना नहीं है, ग्रामीण सड़क नियमावली में 3.0

मी. की चौड़ाई वाली सड़क की अनुमति दी गई है। सम्पर्क सड़कों के संबंध में बचत सुनिष्चित करने के लिए, ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार सड़कों की चौड़ाई में सदृष कमी करते हुए सभी मामलों में सड़कों की चौड़ाई को 3.0 मी. तक सीमित किया जा सकता है।

ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें सतही सड़कें और मोटे तौर पर पक्की सड़कें होंगी अर्थात् कोलतार या सीमेण्ट कंक्रीट वाली सड़कें। सतह का चयन ग्रामीण नियमावली (आई आर पीः एसपी 20:2002) में निर्धारित तकनीकी विनिर्देषों का पालन करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यातायात की सघनता, मृदा का प्रकार और वर्षों जैसे घटकों के आधार पर किया जाएगा।

iii) जहाँ सड़क कार्य किसी बसावट से होकर किए जा रहे हैं, निर्मित क्षेत्र में और सड़क को दोनों ओर 50 मी. की सड़क का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उसे पानी से नुकसान न हो। इसके लिए सड़कों के किनारे नालियाँ बनाने के लिए सीमेंट या पत्थर की सड़कें बनाई जाएंगी। उचित पार्ष्व नालियाँ भी बनाई जाएंगी ताकि पानी की अनुचित निकासी से सड़क को नुकसान न हो।

iv) ग्रामीण सड़क नियमावली में साधारण बिटूमन की जगह संषोधित बिटूमन के इस्तेमाल के लाभों के बारे में बताया गया है। यदि राज्य सरकारों ने अपने किसी भी कार्यक्रम में संषोधित बिटूमन ख् रबर संषोधित बिटूमन (आर एम बी) सहित , का इस्तेमाल करने के निर्णय लिए हैं, तो इसका इस्तेमाल पी एम जी एस वाई सड़कों में भी किया जाना चाहिए। संषोधित बिटूमन (आर एम बी सहित) का इस्तेमाल केवल ऊपरी सतह पर ही किया जाना चाहिए। आई आर सी कोड – आई आर सी 53:2002 के प्रावधानों के अनुरूप, कड़ाई से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिष्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। रिफाईनरी से बिटूमन की प्राप्ति, बिटूमन का उपयोग करते समय गुणवत्ता के लिए ठोस जाँच और भारी मात्रा में उसका इंतजाम वैसे उपायों के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विषेष ध्यान दिया जाना होता है। ग्रामीण सड़क नियमावली में या आई आर सीः एसपी 20:2002 या आई आर सी 53:2002 द्वारा निर्धारित सभी जाँचों का पालन किया जाएगा।

v) जहाँ कहीं भी लाई ऐष जैसे उत्पादों सहित स्थानीय सामग्रियां उपलब्ध हैं, तकनीकी मानदण्डों का पालन करते हुए उनका निर्धारण किया जाना चाहिए।

vi) पी एम जी एस वाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों में उचित निकासी सुविधाएं होनी चाहिए होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत क्रॉस ड्रेनेज कार्यों के संबंध में साधारणतया केवल छोटे अर्थात् 15 मी. की लंबाई वाले पुलों को ही लिया जाना चाहिए। 15–25 मी. लंबे पुलों के मामले में सुपरिटेंडिंग इंजिनियर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी तथा राज्य तकनीकी एजेंसी और वरिष्ठ इंजीनियरों, जो प्रस्तावित संरचना की आवष्यकता और डिजाईन को मंजूर करेगें, के द्वारा जाँच करने के बाद ही इस

कार्यक्रम के अंतर्गत लंबे पुलों की भी अनुमति दी जाएगी। पुलों से होने वाले लाभ और उसे पर होने वाले खर्च पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार, पहाड़ी राज्यों के मामले में, क्रॉस–ड्रेनेज कार्य की लागत सामान्यतः 25 लाख रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलों को इस तरह बनाया जाए कि जहाँ व्यवहार्य हो, वे पुल व बंधार की तरह कार्य कर सकें। तथापि, ऐसे मामलों में, इसके संचालन और रखरखाव में संबंध में लाभार्थी समूह / ग्राम पंचायत की पूर्व वचनबद्धता ली जानी चाहिए।

11. कार्यों की निविदा

11.1 मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदा आमंत्रित करेगी और परियोजानाओं पर कार्य आरंभ करेगी। सभी परियोजनाओं के लिए प्रतियोगी बोली के जरिए निविदा की सुव्यवस्थापित प्रकिया अपनाई जाएगी। राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा जांची गई और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं के लिए इसी तरह निविदा की जाएगी और कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य, सभी निविदाओं के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक बोली दस्तावेज का अनुपालन करेंगे।

11.2 निविदा सूचना जारी करने, निविदा को अंतिम रूप देने और कार्यों के वितरण से संबंधित सभी राज्य स्तरीय औपचारिकताएं परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के 120 दिनों के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रसंगत कार्य रद्द कर दिए गए हैं। जिन परिस्थितियों के कारण कार्य नहीं दिया जा सका उनके संबंध में एक रिर्पोट राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन आर आर डी ए) को भेजी जानी चाहिए। राज्य सरकार को भी वह राषि नहीं मिलेगी।

11.3 यदि प्राप्त निविदाओं का मूल्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुमान से अधिक है, तो वह अन्तर (निविदा राषि) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

13. कार्यों का कार्यान्वयन

13.1 संबंधित परियोजनाओं को पी आई यू द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा तथा कार्य आदेष जारी करने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। परियोजनाओं के विलम्ब के कार्यान्वयन से बाद के वर्षों में प्रस्तावों की मंजूरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पी एम जी एस वाई में लागत वृद्धि की व्यवस्था नहीं है।

13.2 पर्वतीय राज्यों के अलावा पी एम जी एस वाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को चरणों में शुरू नहीं किया जाएगा। एक बार सड़क कार्य शुरू हो जाने पर इसे निर्धारित समय–सीमा में अपेक्षित तकनीकी विनिर्देष के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

13.3 तथापि, पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर (असम को छोड़कर) सिक्किम, हिमाचल प्रदेष, जम्मू व कष्मीर, उत्तराचंल) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मामले में कार्यकारी एजेंसी को दो काम के मौसम–लगभग 18 माह कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। पहले मौसम में कार्य को प्रारंभिक स्तर से स्थायित्व प्रदान किया जाएगा तथा बाद के काम के मौसम में धातु और ऊपरी परत चढ़ाई जाएगी।

13.4 चाहे समय–वृद्धि या किसी अन्य कारण से लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कार्यकारी एजेंसी समुचित दण्डात्मक खंड शामिल करेगी जैसा कि मानक बोली दस्तावेज में उल्लिखित है।

13.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख सिद्धांत निधियों के उपयोग को सुनिष्चित करना है ताकि आसानी से सड़क कार्य समय पर पूरा हो सके। यह जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसियों की होगी कि वे ठेकेदार का भुगतान समय पर करें बषर्ते कि कार्य का निष्पादन संतोषजनक हो। देय भुगतान में बिलम्ब से बचना चाहिए।

13.6 गुणवत्ता बरकरार रखने और कार्यों के समय पर पूरा होना सुनिष्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने / प्रोत्साहन न देने की योजना बना सकती है।

15. गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों का पर्यवेक्षण

15.1 सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिष्चित करने की जिम्मदारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र के प्रषासकों की होगी। इसके लिए सभी कार्यों का प्रभावीढत्रष् चत्रष्ष्झ

15.2 कार्यक्रम के अंतगर्त बनाई गई सड़कों के काफी बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कें होने की संभावना है, इसलिए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद (5) पांच तक किसी बड़ी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उद्देष्य को पूरा करने के लिए मानक बाली दस्तावेज में दिए प्रावधानों के अनुसार संविदा दस्तावेजों में निष्पादन गारंटी / दैनिक रखरखाव संबंधी समुचित खंडों को शामिल किया जाएगा। विषेषतया, राज्य सरकार ठेकेदार से कार्य के मूल्य के 10 प्रतिषत के लिए बैंक गारंटी लेगी जो 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी तथा इसे रखरखाव के लिए जिम्मेदार पंचायती राज्य संस्थाओं के परामर्ष के बाद ही मुक्त किया जाएगा (देखिए पैरा 17.1)

15.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के पहले दो स्तरों के लिए उत्तरदायी होगी तथा जिला और राज्य स्तर पर दो स्तरों की लागत भी वहन करेंगी। पी आई यू या कार्यकारी अभियंता प्रथम स्तर होगा जिसकी मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिष्चित करने की होगी कि प्रयुक्त की गई सामग्री और कारीगर निर्धारित विनिर्देष के अनुरूप है। वे यह भी सुनिष्चित करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी परीक्षण विषेष व्यक्ति / प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय और सीान पर कराए जाते हैं।

15.4 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के दूसरे स्तर के रूप में कार्यों की आवधिक जांच राज्य सरकार द्वारा गठित / लगाए गए गुणवत्ता नियंत्रण एककों, स्वतंत्र कार्यकारी अभियन्ताओं / पी आई यू द्वारा कराई जाएगी। यह आषा की जाती है कि इन अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा याद्धाच्छिक परीक्षण किया जाएगा तथा ये राज्य सरकार की प्रयोगषालाओं के साथ–साथ कतिपय मामलों में स्वतंत्र प्रयोगषालाओं, जो राज्य तकनीकी एजेंसियों की हो सकती हैं, में परीक्षण में प्रयोग की गई सामग्रीयों के नमूने भी लेंगे। राज्य सरकारें इस बारे में अपेक्षित दिषा–निर्देष जारी करेंगी।

15.5 उल्लिखित दो स्तरों द्वारा कराए गए सभी परीक्षण परिणामों को आन–लाइन मैनजमेंट तथा निगरानी प्रणाली की संगत माडयूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

15.6 प्रत्येक राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के प्रषासक राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए एक वरिष्ठ अभियंता (अधीक्षक अभियंता स्तर से कम न हो) नियुक्त करेंगे। वह राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के संतोषजनक कामकाज का निरीक्षण करेगा / करेगी। इस कार्य में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं की रिपोर्टों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना भी शामिल होगा। गुणवत्ता समन्वयक राज्य स्तरीय एजेंसी का हिस्सा होना चाहिए।

15.7 गुणवत्ता नियंत्रणढत्रष् चत्रष्ष्झ

15.8 राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी–कर्ता सड़क कार्यों, खासकर गुणवत्ता की जांच करेंगे। वे कार्यस्थल से नमूना लेंगे तथा किसी सक्षम तकनीकी एजेंसी / संस्थान से इसकी जांच कराएंगे। वे जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के कामकाज की रिर्पोट भी देंगे। निगरानीकर्ता आनलाइन मैनजमेंट तथा निगरानी प्रणाली के साधन के जरिए एन आर आर डी ए को अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे। एन आर आर डी ए द्वारा एन क्यू एम की रिर्पोट राज्य सरकार को भेजी जाएगी ताकि निर्धारित समय में समुचित कार्रवाई की

जा सके। कार्य प्रगति के बारे में अगर गुणवत्ता जांच में कार्य 'खराब' या 'औसत' पाया जाता है तो राज्य सरकार यह सुनिष्चित करेगी कि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा में सामग्री को बदलेगा या अपने कार्य को सुधारेगा (जैसा भी मामला हो)। एन क्यू एम रिर्पोट के बारे में राज्य सरकार प्रत्येक माह अपने पास लंबित पड़ी प्रत्येक रिर्पोट पर की गई कार्रवाई रिर्पोट देगी। कार्य प्रगति के दौरान 'खराब' तथा 'औसत' दर वाले सभी कार्यों की राज्य सरकार से सुधार रिर्पोट प्राप्त हो जाने के बाद एन क्यू एम द्वारा पुनः जांच की जाएगी।

15.9 राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रषासक उन ठेकेदारों तथा फील्ड अभियंताओं, जो सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिष्चित करने में लापरवाही बरतते हुए पाए जाते हैं, का पता लगाने और समुचित कार्रवाई (गंभीर मामलों में काली सूची में डालने सहित) करने के लिए प्रणालियां बनाएंगे। जहाँ ठेकेदार का पूर्ण कार्य 'खराब' या 'औसत' स्तर का पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार को राज्य द्वारा काली सूची में डाला जाएगा तथा भविष्य में ऐसे ठेकेदार को पी एम जी एस वाई का कोई कार्य नहीं दिया जाएगा।

15.10 आन लाइन मैनेजमेंट और निगरानी प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा उस कार्य के विरूद्ध 'रेड पोल' आएगा यदि उस सड़क का कोई परीक्षण असफल पाया जाता है। इसी प्रकार, जहाँ एन क्यू एम में यह पाया गया है कि कार्य की गुणवत्ता 'खराब' या 'औसत' है, वहां कार्य के विरूद्ध रेड लैग आता है। रेड पोल के बारे में जब तक कार्य को सुधार नहीं लिया जाता और परीक्षण सफल नहीं होता है तब तक भुगतान न किया जाए। रेड लैग के बारे में जब तक अधीक्षक अभियन्ता (पी आई यू के संबंध में पी यू आई का अधीक्षक अभियन्ता) काम की जांच नहीं कर लेता तथा संतुष्ट नहीं हो जाता कि सभी खामियां दूर कर ली गई हैं, भुगतान नहीं किया जाएगा।

15.11 दिए गए जिले / राज्य में सड़क कार्यों की गुणवत्ता के बारे में प्रतिकूल रिर्पोटों से उस क्षेत्र में कार्यक्रम तब तक के लिए स्थगित हो सकता है जब तक खराब कार्य में निहित कारणों का पता नहीं लगाया जाता है।

15.12 राज्य गुणवत्ता समन्वयक / पी आई यू का प्रमुख कार्यों की गुणवत्ता के मामले में अभ्यावेदनों / षिकायतों की जांच का प्राधिकारी होगा तथा 30 दिनों के भीतर समुचित जांच के बाद षिकायत–कर्ता को उत्तर भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य स्तरीय एजेंसी षिकायतों को निपटाने की निगरानी करेगा तथा एन आर आर डी ए सभी षिकायतों / अभ्यावेदनों को तत्परता से निपटाने को सुनिष्चित करने के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ सम्पर्क साधेगा।

भाग III – निधियों का प्रवाह, उन्हें जारी करने की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा

18. निधियों का प्रवाह

18.1 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के, खाते के प्रबधन हेतु, राज्य स्तरीय एजेंसी, राज्य मुख्यालय में इटरनेंट संपर्कता के साथ किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अथवा संस्था आधारित बैंक का चयन करेगा। चुने जाने के पष्चात् खाते को किसी भी अन्य शाखा अथवा बैंक को बदला नहीं जायेगा। बैंक से एक लिखित अन्डरटेकिंग लिया जाएगा कि वह पी एम जी एस वाई निधियों में से भुगतान भारत सरकार के दिषानिर्देषों के अनुरूप करेगा। संबंधित शाखा इंटरनेट संपर्कता बरकरार रखेगा और आन लाइन मेनेजमेंट और मानीटरिंग प्रणाली के उपयुक्त माडयूल मे डाटा डालेगा।

18.2 राज्य स्तरीय एजेंसी एन आर आर डी ए और मंत्रालय को बैंक शाखा का विवरण और खाता संख्या के संबंध में सूचना देगी। एन आर आर डी ए पहले यह सुनिष्चित कर लेगा कि दिषा–निर्देषों की आवष्यकताओं को पूरा कर लिया गया है और एन आर आर डी ए की सिफारिष पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसी खाते में निधियों को रिलीज करेगा।

18.3 राज्य स्तरीय एजेंसी, पी एम जी एस वाई के लिए केवल एक ही खाता रखेगी जिसमें से सारे भुगतान किए जाएँगें। यह खाता सड़क कार्य से संबंधित कार्यक्रम हेतु व्यय से संबंधित होगा। इस खाते का उपयोग किसी भी अन्य प्रषासनिक व्यय (जैसे वाहनों और कार्यालय उपकरणों की खरीद) के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

18.4 कार्यक्रम के खर्च का विनियमन निम्नानुसार होगा : –

18.4.1 कार्यक्रम के खर्च के लिए पी आई यू के अलग बैंक खाते नहीं होंगे। जैसा कि उपर्युक्त पैरा 12.1 में बताया गया है, पी आई यू के कार्यकारी अभियंता / पी आई यू के मुखिया (जो पी आई यू के आहरण और वितरण अधिकारी हैं) को एजेंसी के पदेन सदस्य घोषित किया जाएगा ताकि वे कार्यक्रम के खाने में से एजेंसी की निधियों का इस्तेमाल कर सकें। वे चैक जारी करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी होंगे।

18.4.2 एजेंसी एक अधिकार प्राप्त अधिकारी को नामित करेगा जो वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हो, सामान्यतः वित्त नियंत्रक अथवा वह जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो। अधिकार प्राप्त अधिकारी को ही हक होगा कि वह बैंकों को प्राधिकृत हस्ताक्षारियों के नाम सूचित करें, जो एजेंसी के बैंक खाते पर चैक जारी कर सकेंगे।

18.4.3 अधिकार प्राप्त अधिकारी प्राधिकृत हस्ताक्षारियों की (जिलों के कार्यकारी अभियंता / पी आई यू के मुखिया) लिस्ट बैंकों को देंगे और अपने पास भी इस लिस्ट का रिकार्ड रखेंगे। समय पर इस लिस्ट की जांच होगी ताकि उसकी परिषुद्धता सुनिष्चित की जा सके। प्राधिकृत हस्ताक्षरियों को बैंक अलग–अलग चैक बुक जारी करेगा और उनके हस्ताक्षरों का भी रिकार्ड रखा जाएगा।

18.4.4 अधिकार–प्राप्त अधिकारी बैंको को प्राधिकृत भुगतान कर्ताओं (ठेकेदार और संभरक जिनके साथ समझौता किया गया हो और सांविधिक अधिकारी जैसे कि आई.टी.ओ.) के नाम और उनके निर्धारित भुगतान, खातों और प्रत्येक ठेकेदार और संभरक को देय राषि के बारे में जानकारी देंगे। यह किये गये कार्य समझौतों के अनुरूप होगा। संबंधित पैकेजों के लिए सहमत कार्य कार्यक्रम के अनुरूप मासिक भुगतानों के लिए उपयुक्त सीमा का निर्धारण अधिकार–प्राप्त अधिकारी कर सकते हैं। इस संबंध में अधिकार–प्राप्त अधिकारी बैंक शाखाओं को स्थायी निर्देष जारी करेंगे।

18.4.5 निर्धारित भुगतानकर्ता के खातों को सूचित करते हुए, एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरी भुगतान करेंगे। इसके बाद तुरंत वे ओ.एम.एम.एस. के पेमेंट मोडयूल में चैक और भुगतान का विवरण डाल देंगे।

18.4.6 चैक के मिलने पर, बैंक यह सुनिष्चित करेगा कि पेमेंट मोडयूल में भुगतान के सारे विवरण दे दिये जा चुके हैं और इस बात को भी सुनिष्चित करे कि चैक सभी अन्य आवष्यकताओं पर खरा है जैसे उदाहरण हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर का मेल खाना, चैक की राषि प्राधिकृत शेष राषि के भीतर हो, भुगतानकर्ता प्राधिकृत हो और भुगतानकर्ता के खाते का सारा विवरण पूर्ण रूप से और ठीक से दे दी गई हों।

18.4.7 बैंक आज्ञा नहीं देगा कि निधियों को प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अलावा अन्य कोई उपयोग करे और न ही ये निधियां पी एम जी एस वाई के अंतगर्त लिये गये कार्यों के भुगतान के अलावा अन्य किसी बात के लिए उपयोग में ली जाएगी। राज्य स्तरीय एजेंसी को भी छूट नहीं होगी कि वे इन निधियों को किसी अन्य बैंक / शाखा में, चाहे कम अथवा मध्यम समय–सीमा के लिए निवेष करें और न ही वे इसे फिक्स डेपोसिट के अंतर्गत निवेष कर सकते हैं।

18.4.8 पी आई यू, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को बैंक पी एम जी एस वाई की निधियों के बारे में मासिक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

18.4.9 बैंक, राज्य स्तरीय एजेंसी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक तीन–सूत्रीय समझौता ज्ञापन बनाया जाएगा जिसके तहत तीनों दिषा–निर्देषों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने पर सहमत होंगे। विषेष रूप से, खाते के कार्यान्वयन पर बैंक, ग्रामीण विकास मंत्रालय / राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन आर आर डी ए) द्वारा समय पर जारी निर्देषों का पालन करेगा।

18.5 निधियों के सुचारू प्रवाह और कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु एन आर आर डी ए समय पर आवष्यक निदेष जारी कर सकता हैं।

18.6 निर्माण विभाग द्वारा सुस्थापित लेखा प्रणाली के आधार पर एन आर आर डी ए द्वारा निर्धारित लेखा प्रणाली का इस कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाएगा।

18.7 जो पैसा ब्याज के रूप में मिलता है उसे पी एम जी एस वाई की निधियों में जोड़ दिया जाएगा। जो खर्च इस ब्याज की राषि से होना होगा उसका हिसाब–किताब ग्रामीण विकास मंत्रालय / एन आर आर डी ए द्वारा समय पर जारी किए गए अनुदेषों / मार्गनिर्देषों के अनुसार रखा जाएगा। बैंक राज्य स्तरीय एजेंसी और एन आर आर डी ए को उसके द्वारा समय पर खाते में जमा की गई ब्याज की राषि की जानकारी देगा।